

संचिका सं०-6 एस०एस०(6)21/2025- 1990 /

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

स्मिता सिन्हा, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एव हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना-15. दिनांक- 07/05/2025.

*अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।

द्वारा :-

*आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :-

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में सात निश्चय-2 के तहत ₹ 520.00 लाख (पाँच करोड़ बीस लाख रुपये) लाख की लागत पर विभागीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, बराटपुर, औरंगाबाद का घेराबंदी तथा मत्स्य प्रसार-सह-जागरुकता केन्द्र का निर्माण योजना की प्रशासनिक तथा व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध निदेशानुसार कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में सात निश्चय-2 के तहत ₹ 520.00 लाख (पाँच करोड़ बीस लाख रुपये) लाख की लागत पर विभागीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, बराटपुर, औरंगाबाद का घेराबंदी तथा मत्स्य प्रसार-सह-जागरुकता केन्द्र का निर्माण योजना की प्रशासनिक तथा व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजना का अनुलग्नक-I, II(i), II(ii), II(iii), II(iv) एवं II(v) के रूप में संलग्न।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभागीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, बराटपुर, औरंगाबाद एवं संबद्ध परिसंपत्ति को अतिक्रमण मुक्त, संरक्षित एवं विकास के द्वारा इसे क्रियाशील बनाना है ताकि भविष्य में इसे मॉडल फार्म के एक रूप में विकसित कर मत्स्य प्रशिक्षण, प्रसार एवं प्रत्यक्षण के द्वारा मत्स्य कृषकों को लाभान्वित किया जा सके।
3. विभागीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, बराटपुर, औरंगाबाद का घेराबंदी तथा मत्स्य प्रसार-सह-जागरुकता केन्द्र का निर्माण से निम्न लाभ होने का अनुमान है—
 - (i) मत्स्य प्रसार-सह-जागरुकता केन्द्र के माध्यम से स्थानीय मत्स्य पालकों को वैज्ञानिक मत्स्य पालन, बीज उत्पादन तकनीक, जलाशय प्रबंधन इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
 - (ii) विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्र पर अतिक्रमण की प्रवृत्ति रुकेगी जिससे सरकारी संपत्तियों का संरक्षण हो सकेगा।
 - (iii) इसके विकास से तालाब में मत्स्य बीज/इयरलिंग-मत्स्य बीज/मछली का पालन एवं प्रत्यक्षण किया जा सकेगा।

(iv) मत्स्य कृषकों को गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज/इयरलिंग-मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगा।

(v) जिला-स्तर पर मत्स्य प्रसार, प्रशिक्षण एवं प्रत्यक्षण का कार्य सुलभ हो सकेगा।

4. राज्य के औरंगाबाद जिला का समग्र मात्स्यिकी विकास, मात्स्यिकी विकास एवं कल्याण योजनाओं के बेहतर एवं प्रभावी क्रियान्वयन और प्रसार-तंत्र सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से जिला के मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, बराटपुर, औरंगाबाद का घेराबंदी तथा मत्स्य प्रसार-सह-जागरुकता केन्द्र का निर्माण का प्रस्ताव है। इस मत्स्य बीज प्रक्षेत्र का खाता-286, खेसरा-920 परिधि लगभग 750 मीटर तथा रकवा कुल 2.92 हे० है। प्रस्तावित केंद्र का घेराबंदी तथा जी०+१ का भवन का निर्माण किया जायेगा।

उक्त भवन के भूतल में एक प्रशिक्षण हॉल, एक मिटिंग हॉल, एक निगरानी (monitoring) कक्ष, रिसेप्शन, प्रतीक्षालय, दो वाहन गैरेज, एक डॉइनिंग (Drawing) रूम, रसोई, पुरुष एवं महिला हेतु अलग-अलग प्रसाधन (शौचालय) का निर्माण किया जायेगा। प्रथम तल पर जिला मत्स्य पदाधिकारी, क्षेत्रीय पदाधिकारी (मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य विकास पदाधिकारी), अभियंता, लेखापाल/रोकड़पाल हेतु पृथक-पृथक कार्यालय कक्ष, एक स्टोर-रूम, महिला एवं पुरुष एवं महिला हेतु अलग-अलग प्रसाधन (शौचालय) आदि का निर्माण किया जायेगा। साथ ही इस द्वितीय तल पर भविष्य में विस्तार हेतु लगभग 1000 वर्गफीट का खुला टेरेस (Open terrace) जिस पर वर्तमान में लॉन निर्माण का प्रावधान किया गया है। साथ ही, उक्त केन्द्र का विद्युतीकरण, जल-संचरण का निर्माण, स्वच्छता, वाटर-हारवेस्टिंग तथा भविष्य की आवश्यकता को दृष्टिपथ में रखते हुए एक लघु आकार का लिफ्ट अधिष्ठापन हेतु स्थल चिन्हित आदि का प्रावधान नियमानुसार किया गया है। इस योजना के तहत प्रस्तावित केन्द्र के चारों ओर तीन मीटर चौड़ी सड़क एवं निर्मित भवन तथा प्रक्षेत्र के बाहरी सीमा का भी पूर्ण घेराबंदी, गेट का निर्माण किया जायेगा। कुल प्राक्कलित राशि में विषय-विशेषज्ञों की परामश/सेवा प्राप्त करने तथा नियमानुसार आकस्मिकता (Contingency) राशि का समावेश किया गया है।

उक्त परिसर का विकास (Campus Development)/निर्माण कार्यो का प्राक्कलन का आकलन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) के Plinth Area Rate 2023 के आधार पर किया गया है। इस विभागीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र के घेराबंदी तथा मत्स्य प्रसार-सह-जागरुकता केन्द्र का निर्माण पर कुल ₹ 520.00 (पाँच करोड़ बीस लाख रुपये) लाख व्यय होने का अनुमान है (विस्तृत विवरणी अनुलग्नक II(i), II(ii), II(iii), II(iv) एवं II(v) के रूप में संलग्न)। संलग्न प्राक्कलन एवं प्राक्कलित राशि पर तकनीकी अनुमोदन प्राप्त है।

5. इस योजनान्तर्गत विभागीय मत्स्य तालाब परिसर के घेराबंदी एवं विकास/निर्माण कार्य विभागीय अभियंता कोषांग के देख-रेख तथा क्रियान्वयन का अनुश्रवण मत्स्य निदेशालय के द्वारा किया जाएगा। इस हेतु विभागीय अभियंत्रण कोषांग द्वारा विधिवत निविदा आमंत्रित कर एजेंसी का चयन किया जायेगा तथा चयनित एजेंसी के माध्यम से घेराबंदी एवं

विकास/निर्माण कार्य किया जायेगा। साथ ही, अभियंत्रण कोषांग के द्वारा अनुशंसित विपत्र राशि का भुगतान मत्स्य निदेशालय के द्वारा किया जायेगा।

6. प्रस्तावित योजना का क्रियान्वयन चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 तथा आगामी वर्षों में किया जाएगा।
7. इस योजना के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होती है तो, विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के अनुमति से निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किया जायेगा।
8. इस योजना के तहत बजट शीर्षवार, विषयशीर्षवार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कोषागार, व्यय हेतु स्वीकृत राशि आदि की विस्तृत विवरणी अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।
9. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि के अनुरूप निदेशक मत्स्य के द्वारा आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।
10. योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत राशि को कोषागार से विधिवत आहरित कर बी0एल0डी0ए0 के पी0एल0 खाता में अंतरित/संचित कर राशि का व्यय तथा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
11. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
12. इस योजना के तहत व्यय हेतु स्वीकृत राशि का व्यय— मांग सं०-02, मुख्य शीर्ष-2405 -मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101 -अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष-0117 -मत्स्य सम्पदा- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 02-2405001010117, विषय शीर्ष 0117.31.05 -सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
13. दिनांक-25.04.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका-6 एस०एस०(6)21/2025 के पृष्ठ 13-12/प०.
14. चूंकि यह एक नयी योजना है। योजना का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से अधिक एवं 15.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12888/वि० दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-2(क) में प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका-6 एस०एस०(6)21/2025 के पृष्ठ-08/टि० एवं दिनांक-30.04.2025.

15. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या-6एस०एस०(6)21/2025 के पृष्ठ संख्या-08/टि०, डायरी क्रमांक-202, दिनांक-29.04.2025.

16. वित्त विभागीय पत्रांक-7355, दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,


(स्मिता सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)21/2025- 1990 /पटना-15, दिनांक-07/05/2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)21/2025- 1990 /पटना-15, दिनांक-07/05/2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)21/2025- 1990 /पटना-15, दिनांक-07/05/2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/सभी संयुक्त मत्स्य निदेशक/सभी उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)21/2025- 1990 /पटना-15, दिनांक-07/05/2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित निदेशालय के सभी पदाधिकारियों एवं सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)21/2025- 1990 /पटना-15, दिनांक-07/05/2025.

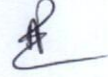
प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 6 एस०एस०(6)21/2025- 1990 /पटना-15, दिनांक- 07/ 05/2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव



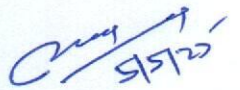
अनुलग्नक-I

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग सं०-02 मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन- उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष-0117-मत्स्य सम्पदा- सात निश्चय-2, विपत्र कोड-02.2405001010117 के अन्तर्गत विभागीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, बराटपुर, औरंगाबाद का घेराबंदी तथा मत्स्य प्रसार-सह-जागरुकता केन्द्र का निर्माण की योजना पर अनुमानित व्यय एवं विपत्रों के निकासी हेतु प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विवरणी।

क्र०	योजना का नाम	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि (लाख में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	विभागीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, बराटपुर, औरंगाबाद का घेराबंदी तथा मत्स्य प्रसार-सह-जागरुकता केन्द्र का निर्माण योजना	0117- 31.05-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण	₹520.00	निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना।	कोषागार, विकास भवन, पटना।
कुल			₹520.00		

(पाँच करोड़ बीस लाख रुपये)

1990
07/05/2025


सरकार के संयुक्त सचिव।



अनुवर्तक : II (i)

Proposed Construction of Fisheries extension and awareness centre at fish seed farm, Baratpur, Aurangabad.(G+1)

(Based on Plinth area basis as per CPWD plinth area rate applicable from (01-08-23)

Abstract of Cost

SI No	Particulars	Amount	
1	Administrative Building	37171146.62	
2	Campus Development	4655809.29	
3	Boundry of Fish Seed Farm, Baratpur, Aurangabad (750m @ Rs. 10870.00 per m)	8152500.00	
	Sub Total	49979455.91	A
4	Extra for Quality Assurance @ 1% of A	499794.56	
5	Add for project preperation and supervison @ (1+1%=) 2%	999589.12	
6	Contingency @1% upto 10 cr and @0.5 % above 10 cr	499794.56	
	Total-	51978634.15	
	Say-	52000000.00	
Rs. Five Crore Twenty Lakh Only.			

Sd/-
04/02/25
J.E

Sd/-
04/02/25
A.E

Sd/-
04/02/25

Technically approved for Rs. 5,20,00,000.00 (Rupees five crore twenty lakh) only.

Rm
04/02/25
अधीक्षण अभियंता
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
बिहार, पटना
04/02/25

Sd/-
04/02/25
मुख्य अभियंता
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
बिहार, पटना
04/02/25

Administrative Building (G+1)

04/02/2025 11:11

Area Statement		Built up Area					
SI No			sqft	sqm			
1	Ground Floor		4550.00	422.86			
2	1st Floor		4344.00	403.72			
2	2nd Floor		0.00	0.00			
	Total Built-up Area		8894.00	826.58			
SN	SOR Ref.	Description	Quantity	Unit	Rate	Amount	Remarks
1	1	BUILDING COST (Specification as per Ann 1)					
1	1.1	RCC framed structure (Office)	826.580	sqm	30820.00	25475193.31	A
2	1.3.6	R.C.C raft foundation (on ground floor area only)	422.862	sqm	12170.00	5146236.06	
	1.5	Fire fighting					
3	1.5.1	Downcomer System	826.580	sqm	460.00	380226.77	
4	1.6.2	Automatic fire alarm system	826.580	sqm	600.00	495947.96	
	2	SERVICES					
5	2.1	Internal water supply and sanitary installations	4% of A			1019007.73	
6	2.2.1	Electrical External service connection	3.75% of A			955319.75	
7	2.2.2	Civil External service connection	1.25% of A			318439.92	
8	2.3	Internal Electrical Installation	12.5% of A			3184399.16	
9	2.4.2	Extra for Lightning conductor	0.25% of A			63687.98	
10	2.4.3	Extra for Telephone conduits	0.25% of A			63687.98	
10	3.1.1	Lifts with power operated centre opening doors, and AC variable voltage & variable frequency controls. For 8 passenger @ 1.0 m / Sec.	0 No		1724000.00	0.00	
11	4.1	Overhead Tank Capacity LS	3000.00	L	23.00	69000.00	
		Sub Total				37171146.62	
		Cost Index as on 01-04-24 based on DPAR 2023					

SKS
04/02/2025
J.E

04/02/2025
A.E

04/02/2025
P.E

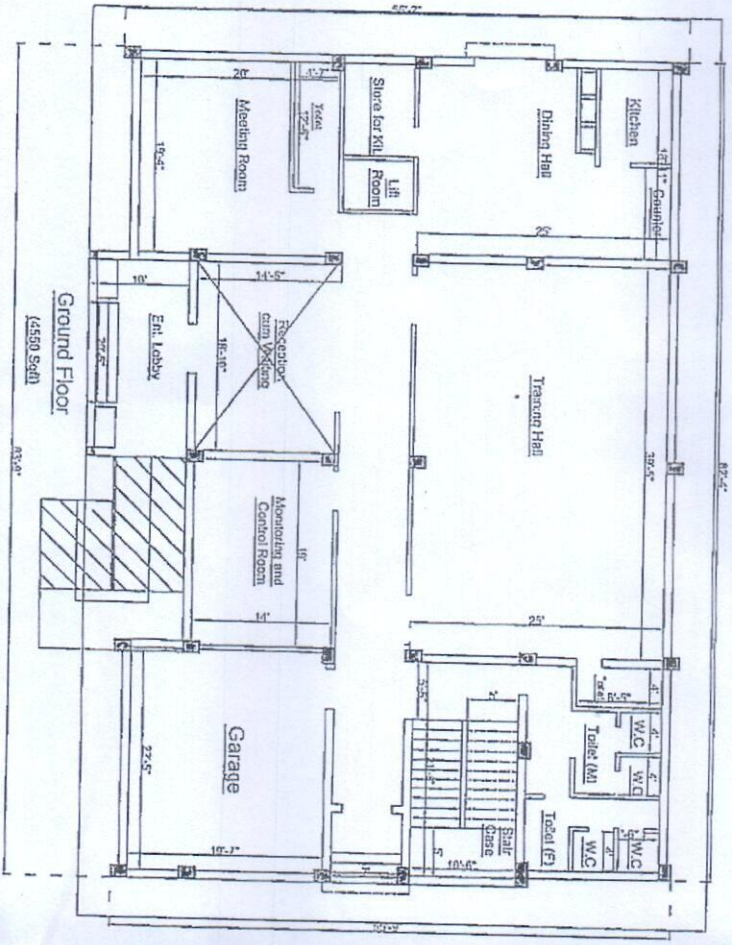
Campus Development						
		Acre	sqf	sqm		
	Plot Area	0.358127	15600.00	1449.81		
	Plinth Area-		4550.00	422.86		
	Vacant land in Campus-		11050.00	1026.95		
SOR Ref.	Description	Quantity	Unit	Rate	Amount	Remarks
5.1	Levelling vacant area	1026.95	sqm	340.00	349163.569	
5.2.3	Cement Concrete Pavement (internal road & parking)	167.29	sqm	2320.00	388104.089	
5.5	Storm water Drains	50	m	10150.00	507500.000	
5.6	Rain water Harvesting LS length	40	m	3810.00	152400.000	
5.8.1	Boundary wall with brick work structure and RCC band	150	m	10870.00	1630500.000	
5.9.1	Horticultur	300	sqm	312.00	93600.000	
4.5	Under Ground Sump	3000	L	23.00	69000.000	
6.3.1	Silent Type Diesel Generating Set 100 KVA	10	KVA	11560.00	115600.000	
6.3.2	Extra for synchronizing panels 100 KVA	10	KVA	1070.00	10700.000	
6.9.1	Solar Light	LS			500000.000	
6.19.1	Street lighting with LED	1250.0	sqm	160.00	200000.000	
6.10.1	Supplying installation testing and commissioning IP based CCPV system for building indoor security	826.6	sqm	210.00	173581.784	
6.10.1	Supplying installation testing and commissioning IP based CCPV system for building outdoor surveillance	1027.0	sqm	210.00	215659.851	
	Parking and shed-L.S	1	no	50000.00	50000.000	
	Main Entry & Exit Gates @200000 each L.S	1	no	200000.00	200000.000	
	Sub Total				4655809.294	
	Cost Index as on 01-04-24 based on DPAR 2023					

04/04/23
 J.E.
 04/04/23
 AE
 04/04/23
 GB

359878 1111

Fisheries extension and awareness centre at Fish seed farm, Baratpur, Aungangabad.

अनुसूची : II (iv)



Drawn By
SAC
(Sanjay Kumar)
Junior Engineer
Directorate of Fisheries
Bihar, Patna

04/02/2025
AE
04/02/2025
E-13

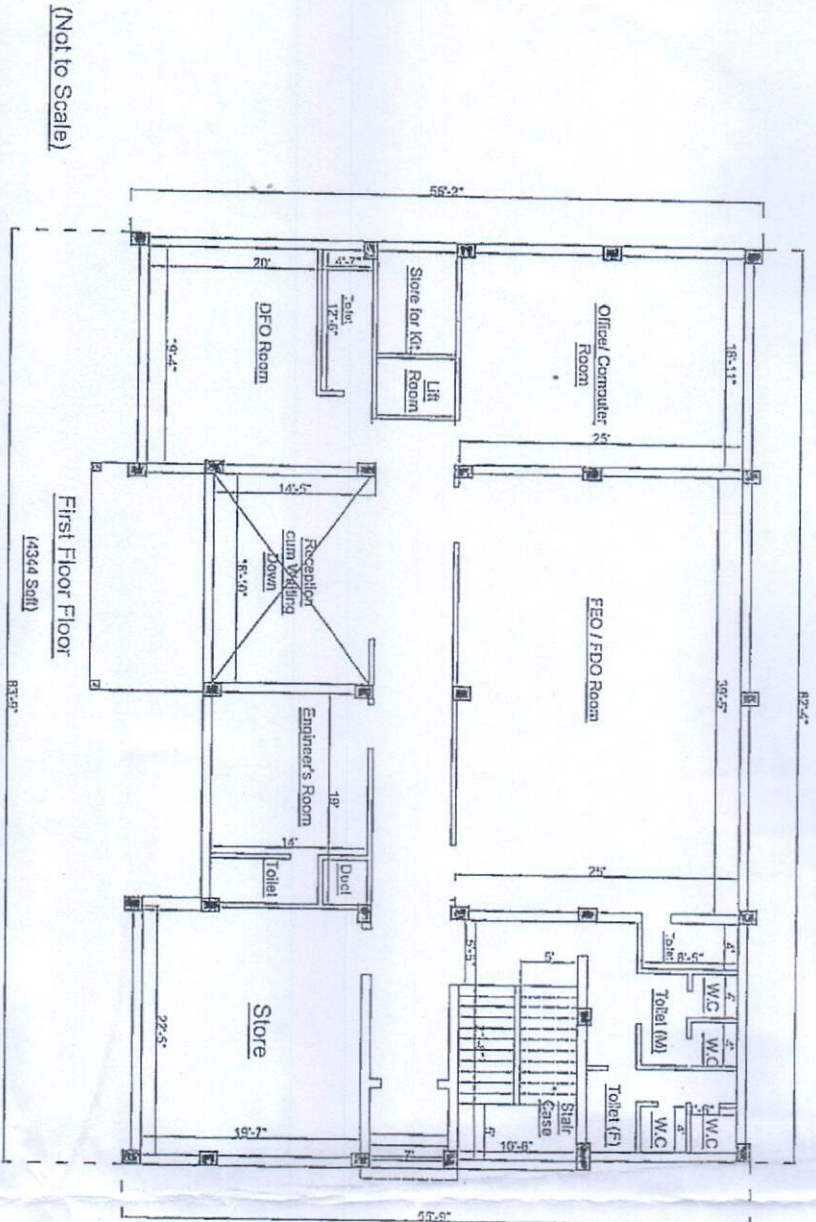
अधीक्षण अभियंता

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
बिहार, पटना

04/02/2025
मुख्य अभियंता
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
बिहार, पटना

8/5/2025 II (1)

Fisheries extension and awareness centre at Fish seed farm, Bararipur, Aurangabad.



Drawn By-
S.K.S.
04/04/25
(Sanjay Kumar)
Junior Engineer
Directorate of Fisheries
Bihar, Patna

8/5/2025
A.E.
04/04/25
E.E.

अधीक्षण अभियंता
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
बिहार, पटना

04/02/2025
मुख्य अभियंता
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
बिहार, पटना